कम्प्यूटर परिपत्र सं0

पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र वैट व्यवस्था/फार्म 43/44 /2008 / 2324 /

वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य

कर,उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी

2008

समस्त

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /चेक पोस्ट / रेलवे चेक पोस्ट/

सचलदल /वि0 नु0शा/कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0

<u>वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।</u>

Key word 1-30-Transit Pass

श्री आलोक झा जनरल सेक्रेटरी XXXVI डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेस , इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि " XXXVI डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेंस " दिनांक 19-02-08 से दिनांक 21-02-2008 तक बनारस हिंन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी मे आयोजित की गयी है । इस डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेंस में डेयरी फारमर / प्रोसेसर / उद्योगपति / ऐकेडेमीशियन / एन0जी0 ो0 वर्कर्स अपने डेयरी उत्पाद /Instruments प्रदर्शन के लिए लायेंगें एवं कांफ्रेंस समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जायेगे । इनकी बिक्री नही की जाएगी । उनके द्वारा इस संबंध में व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- जनरल सेक्रेटरी XXXVI डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेंस ; इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइंसेज, के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस कांफ्रेसं में प्रदर्शन के उददेश्य से डेयरी फारमर / प्रोसेसर / उद्योगपति / ऐकेडेमीशियन / एन0जी0 ो0 वर्कर्स जो भी डेयरी उत्पाद / Instruments लेकर आए , उन्हे इस संबंध में श्री आलोक झा जनरल सेक्रेटरी XXXVI डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेंस इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइंसेज के हस्ताक्षर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से जारी /प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा कांफ्रेंस के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाए ।चूंकि प्रकरण में प्रवेश जॉंच चौकी और निर्गमन जॉंच चौकी एक ही रहेगा । अत: पारगमन प्राधिकार पत्र जारी करते समय कांफ्रेंस हेतु लाये जा रहे माल का पूरा विवरण पारगमन प्राधिकारपत्र एवं संबंधित अभिलेखों में अंकित किया जायेगा ।पारगमन प्राधिकारपत्र खारिज करते समय वापस ले जाये जा रहे माल का पूर्व अंकित विवरण से मिलान करने एवं भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जॉंच चौकी के अधिकारियो की रहेगी ।

3- इस कांफ्रेंस में प्रदर्शन हेतु मशीनरी भी लायी जा सकती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस0 सी0सी0 -749 के मामले मे सिविल अपील सं0 4164-66/96 के निर्णय दि0 02-05-01 में यह कहा गया है कि यदि मशीन या

उपकरण को किसी प्रदर्शनी में चलाकर या प्रयोग कर उसका उपयोग बताया जाए तो वह निश्चित ही उपयोग की श्रेणी में आएगा। प्रवेश कर की देयता उपयोग / प्रयोग / बिक्री पर है।अत: इस प्रकरण में यदि प्रवेश कर की देयता बनती है तो जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, वाराणसी जिस कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में उक्त प्रदर्शनी स्थल आता है , उस कर निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करायेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and anothers (2003)11एस0 सी0सी0 -749 के मामले मे सिविल अपील सं0 4164-66/96 के निर्णय दि0 02-05-01 के अनुरुप यदि प्रवेश कर देय है तो प्राप्त होने वाला प्रवेशकर कांफ्रेंस अवधि मे ही जमा हो जायें। इस संबंध में जांच चौकियों से कांफ्रेंस में भाग लेने वाले प्रदर्शन -कर्ताओं को जारी किये गये मूल पारगमन प्राधिकार पत्रों के आधार पर कांफ्रेंस स्थल पर आयी मशीनरी के संबंध में तीन प्रतियों में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि

" जांच चौकी -------------से जारी पारगमन प्राधिकार पत्र संख्या--------------दि0-------------के क्रमांक--------- पर अंकित प्रदर्शन के लिए लाई गयी मशीन का उपयोग कांफ्रेंस में किया गया है एवं इस पर देय प्रवेश कर रु0 ------------ चालान संख्या / बैंक ड्राफ्ट संख्या-------------दि0------------- से जमा किया गया है, पारगमन प्राधिकारपत्र के क्रमांक----- पर अंकित मशीन पर प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। अत: प्रवेश कर जमा नहीं कराया गया है। " इस प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ संबंधित व्यापारी को दी जायेगी , जिसमें से एक प्रति संबंधित जाँच चौकी पर बहती खारिज करने के समय प्राप्त की जायेगी। प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी करने वाले अधिकारी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे।

4- जाँच चौकी के अधिकारी ऐसे प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्व में अंकित विवरणों का मिलान करते हुए पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करेंगे।

5- पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर अथवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। लाए गए डेयरी उत्पाद / Instruments को वापस ले जाने पर पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु दिनॉक 06-03-08 तक का समय दिया जा सकता है।

6- इस कांफ्रेंस मे भाग लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओ / कम्पनियों को जिस वाणिज्य कर जाँच चौकी से पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेगे उसी वाणिज्य कर जाँच चौकी को निर्गमन जाँच चौकी के रूप मे उक्त संबध मे कार्यवाही करनी होगी।

7- कांफ्रेंस मे प्रदर्शन हेतु लाये गये माल की बिक्री नही की जायेगी एवं समस्त माल कांफ्रेंस समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0

<u>पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उार प्रदेश ,लखनऊ।

3- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश।

4- श्री आलोक झा जनरल सेक्रेटरी XXXVI डेयरी इण्डस्ट्री कांफ्रेसं इंस्ट्रीट्यूट आफ एग्रीकल्चर साइंस, बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी , वाराणसी को इस अनुरोध के साथ की कृपया कांफ्रेसं मे भाग लेने वाली सस्थाओ को संदर्भित डेयरी उत्पाद /Instruments लाने के विषय मे प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे संस्थाओ द्वारा जाँच चौकियो पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रांत के अन्दर लाये जाने वाले माल के संबध मे पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी के समय खारिज किया जा सके।

5- जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, वाराणसी जोन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 2-5-2001 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि इस कार्य में खण्डाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी कांफ्रेसं स्थल पर लगाये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो वे अपने स्तर से कृपया स्थानीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य सम्पादित करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि न तो प्रवेश कर का अपवंचन हो और न ही कांफ्रेसं में भाग लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओं को कोई असुविधा हो।

5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0 प्र0

7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 /अपील /उच्च न्या0 कार्य /सर्वोच्च न्या0 कार्य/वि0 नु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उ0प्र0।

8- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ ।

9- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय।

10- चेकपोस्ट /वैट / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/5/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0 पो 0) वाणिज्य
कर,
मुख्यालय , लखनऊ